



2026:AHC-LKO:16310-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 2051 सन 2026

राधे रमण शुक्ला

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी
नियोजन विभाग लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : विष्णु देव शुक्ला, अक्षय रोहित कुमार, राजेश कुमार
द्विवेदी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पुनीत चंद्रा

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु देव शुक्ला को, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत चंद्रा को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभ में ही राहत संख्या 2 पर जोर नहीं दिया।
3. याचिकाकर्ता का दावा है कि 32 भूखंडों में से 10% वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित थे, हालांकि, आक्षेपित आदेश में यह गलत तरीके से उल्लेख किया गया है कि केवल 6 भूखंड उपलब्ध थे और संबंधित नियम के अनुसार, एकमुश्त भुगतान करके इन्हें खरीदने के लिए 16 आवेदक थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के नियम 9 के अनुसार प्राथमिकता दी जानी थी, इसलिए किशतों में भुगतान करने वालों के लिए कोई भूखंड आवंटित करने के लिए नहीं बचा था।
4. यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में 13 भूखंड थे, इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. यद्यपि, हमें यह पता चला है कि यदि 13 भूखंड थे, तब भी 16 आवेदक एकमुश्त किस्तों में भुगतान करने के लिए तैयार थे। फिर भी, चूंकि इस पहलू पर आक्षेपित आदेश में विचार नहीं किया गया है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के आवास आयुक्त को निर्देश देते हैं कि वे उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दिनांक 05.05.2025 के अपने आदेश पर पुनर्विचार करें और यह सत्यापित करें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भूखंडों की संख्या 13 थी या नहीं। इस संबंध में कारण बताएं और यदि वे पाते हैं कि 13 भूखंड थे, तो वे इस मामले में एक नया आदेश पारित करें कि क्या याचिकाकर्ता किस्तों में भुगतान करने के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की श्रेणी के तहत भूखंड आवंटित किए जाने का हकदार था या नहीं। यदि नहीं, तो इसके कारण बताएं।
6. उपरोक्त नया निर्णय छह सप्ताह के भीतर लिया जाए।
7. आक्षेपित आदेश उपरोक्त नए निर्णय के अनुसार प्रभावी रहेगा।
8. यदि आवास आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि याचिकाकर्ता रिक्त भूखंडों में से किसी भूखंड के लिए पात्र है, तो याचिकाकर्ता को सूचना मिलने पर, सूचना प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अपने खाते में जमा की गई राशि वापस करनी होगी। इसके बाद, मामले की कार्यवाही विधिवत की जाएगी।
9. उपरोक्त टिप्पणियों / निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

फ़रवरी 27, 2026

आर.के.पी./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।